

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप ग्रुप एफ में संवर्गिक प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-एफ) पे बैण्ड 15600-39100 पीबी-3 ग्रैंड पे 5400(एल-14)में वर्ष 2011-12 से 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित पुनर्विलोकन (रिव्यू लिस्ट)के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-III/रिव्यू/डीपीसी/प्र.अ./17-18 दिनांक 27.04.2018 द्वारा चयन आदेश जारी किया गया था।

उक्त चयनित प्रधानाध्यापकों में से निम्नांकित कार्मिकों द्वारा पूर्व में वर्ष 2017-18 मूल/आर.आर.सूची में चयन उपरान्त संबंधित विद्यालय में पदस्थापित हो जाने के फलस्वरूप प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत होने के आधार पर इन्हे वर्ष 2011-12 से 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित पुनर्विलोकन(रिव्यू लिस्ट) के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इनके नाम के सामने अंकित चयन वर्ष (कॉलम संख्या-7) में अंकितानुसार चयन उपरान्त यथावत ही पदोन्नति प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी उक्त आदेश की प्रविष्टि कार्मिक की सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकन करेंगे।

क्र.सं	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	कार्मिक का नाम	जन्म दिनांक	चयन वर्ष	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1662	0	रमेशचन्द्र जैन	06.07.66	2017-18	रामावि टांटिया, मालपुरा	टोंक
2	1112	0	जबरसिंह	15.06.70	2017-18	रामावि पाण्डागरा	जालौर



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/बी-III/45001/प्र.अ /रिव्यू डीपीसी 11-12 से 17-18/2018 दि. 19.11.18

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. शासन सचिव, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
02. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक/माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय
08. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
09. संबंधित संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेंगे।
11. सहायक निदेशक, वरिष्ठता/संस्था- /गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/प्रभाग बी-III
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक-कार्मिक